न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या:–15/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 06/03/2024
निर्णय दिनांकः– 27/10/2025

अनवान

1. रामलाल पिता दल्ला जाति कलाल निवासी ग्राम आसन मजरा जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
   1/1 किशनलाल पिता रामलाल जाति कलाल निवासी ग्राम मियाला मजरा जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
   1/2 प्रकाशचन्द्र कलाल पिता रामलाल जाति कलाल निवासी ग्राम मियाला मजरा जोगेला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
   1/3 जगदीशचन्द्र पिता रामलाल जाति कलाल निवासी ग्राम मियाला मजरा जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
   1/4 लीलादेवी पुत्री रामलाल पत्नि छगनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम मियाला मजरा जोगेला हाल निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
   1/5 गंगा पत्नी रामलाल जाति कलाल निवासी ग्राम मियाला मजरा जोगेला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी खसरा संख्या 1346, 1347 कुल किता 02 कुल रकबा 0.

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.))

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

4300 हैक्टेयर भूमि ग्राम आसन में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के पास अप्रार्थीगण की भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 1344 रकबा 0.900 है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि आराजीयात में प्रवेश कर सकते है व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी कृषि भूमि में प्रार्थीगण आ जा रहे हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थीगण कृषि उपकरण, हल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कल्टी ईत्यादि का आवागमन अप्रार्थीगण की भूमि में होकर किया जा सकता है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजी संख्या 1344 बिलानाम भूमि में से 15 फिट चौड़ा रास्ते का जो क्षेत्रफल बनता है उसका नियमानुसार शुल्क जमा करवाने को तैयार है। रास्ता दिलवाने व राजस्व नक्शे में अंकन करवाने का आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थीगणों द्वारा चाह गया रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को ग्राम आसन के खसरा संख्या 1344 में से रकबा 0.0804 लम्बाई कमशः 176 मीटर व चौड़ाई 4.57 मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि कि डी0एल0सी0 दर 917000/— रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसका 02 गुणा 147454/— रूपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—ए में प्रतिपादित है किः— [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला—राजसमन्द (राज.)

khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को क्रियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोड़कर नियम 68—70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68में खातेदारी भूमि मे से होकर नवीन रास्ते विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने एवं सिचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 68 के प्रावधान अन्तर्गत पस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन में निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 251—ए के अन्तर्गत खातेदारो को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए उपबन्धित किया गया है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिस भूमि को

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला—राजसमन्द (राज.)

रामलाल बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः— 15 / 2024(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः—27 / 10 / 2025

पहुंच मार्ग हेतु मांग की गई है, वह राजकीय भूमि है। प्रार्थी द्वारा सिर्फ सुविधा हेतु चाहा गया है जबकि राजकीय भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित के अनुसार ही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है। राजकीय भूमि में से रास्ते प्राप्त करने के संबंध में पृथक से प्रावधान वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की आराजी संख्या 1346 व 1347 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि में पहुंच हेतु बिलानाम आराजी संख्या 1344 रकबा 0.9000 हैक्टेयर में रास्ता दिया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

—::आदेश::—

अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी का अस्वीकार** किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

27/10/25

(मोहकम सिंह [illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द